दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 27-08-2025

भास्कर फॉलोअप स्कूल और आंगनबाड़ी में गैरजरूरी सामान रखने पर लगाएं प्रतिबंध

धुमाल का पाइप गिरने से बच्ची की मौत, कोर्ट का आदेश- दो लाख रु. अतिरिक्त मुआवजा दें

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

तारबाहर स्कूल परिसर की आंगनबाड़ी में लोहे का पाइप गिरने से बच्ची की मौत हो गई थी। इस मामले में घटना के सात दिन पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। दैनिक भास्कर में इसे लेकर प्रकाशित खबर पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जवाब मांगा था। मंगलवार को राज्य सरकार ने बताया कि परिजनों को रेड क्रॉस सोसायटी की ओर से 50 हजार दिए गए हैं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस प्राचार्य गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि तीन साल की बच्ची चली गई, यह मुआवजा बेहद कम है। आदेश दिया कि सरकार एक माह के भीतर बच्ची के परिजनों को 2 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दे। बिलासपुर कलेक्टर को रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने दैनिक भास्कर में प्रकाशित कई खबरों पर संज्ञान लिया है, इसमें 26 जनवरी 2025 को छपी स्कूलों में शौचालयों की कमी, 13 अगस्त को तखतपुर ब्लॉक के चनाडोंगरी हाई स्कूल में बच्चों से ट्रांसफार्मर खिंचवाने और 22 अगस्त को नाबालिग बच्ची की मौत शामिल हैं। अदालत ने सभी मामलों में संबंधित अधिकारियों से शपथ पत्र और रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

मृत बच्ची के परिजनों को रेडक्रास ने दिया है 50 हजार रुपए मुआवजा

शिक्षकों को बताए बगैर बच्चों ने खींचा ट्रांसफार्मर

बिलासपुर के डीईओ ने शपथ पत्र में बताया कि 8 अगस्त को बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कुछ छात्रों को ट्रांसफार्मर गिराने में मदद के लिए बुलाया। छात्रों ने शिक्षकों की जानकारी के बिना मदद की। प्राचार्य और शिक्षकों को बाद में पता चला तो उन्होंने बच्चों को चेतावनी दी और बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। अब जिले के सभी बीईओ को स्कूलों का हर सप्ताह निरीक्षण के आदेश दिए गए हैं।

दैनिक भास्कर की एक और खबर पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, कलेक्टर से मांगा शपथ पत्र

धुमाल का पाइप गिरने से बच्ची की मौत, नोटिस

23 अगस्त को प्रकाशित खबर।

स्कूल में प्लास्टर गिरा, कारण बताओ नोटिस जारी

इसी तरह 7 अगस्त को बरदुली प्राथमिक स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने से दो छात्राएं घायल हो गई थीं। गनीमत रही कि चोटें गंभीर नहीं थीं। शपथ पत्र में बताया गया कि घटना के बाद बच्चों का तुरंत इलाज कराया गया। कक्षाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया है। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

स्कूल या आंगनबाड़ी में खतरनाक सामान रखने पर लगाएं रोक

हाई कोर्ट ने कहा है कि भविष्य में किसी भी स्कूल या आंगनबाड़ी परिसर में खतरनाक या असंबंधित सामान नहीं रखा जाएगा। अधिकारियों को लगातार निगरानी रखने और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अब इस मामले पर 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी।